उत्तरांचल शासन
शिक्षा अनुभाग–7
संख्या: 338 / XXIV(7)/2005
देहरादून दिनांक : 25 अप्रैल, 2005

कार्यालय ज्ञाप

विधि, बी0एड0 आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संस्थाओं/महाविद्यालयों की अनापत्ति के लिए प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत किया जाना होता है जिस पर यथा विधि प्रकरण पर सम्यक् विचार के उपरान्त मान्यता प्रदान करने/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है,परन्तु प्रायः यह देखने में आ रहा है कि इस तरह के पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए सम्बन्धित प्रस्तावकों द्वारा प्रार्थना पत्र सीधे उच्च स्तर पर प्रस्तुत किये जाते हैं। फलस्वरूप विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत इन प्रस्तावों के समस्त पहलुओं का यथाविधि परीक्षण किया जाना कठिन हो जाता है। अतः इस सम्पूर्ण परिस्थिति पर सम्यक् विचार के उपरान्त शासन द्वारा बी0एड0,विधि आदि उच्च शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में अनापत्ति के लिए निम्नांकित प्रकिया अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(1) किसी भी शैक्षणिक सत्र में इस प्रकार का पाठ्यक्रम आरम्भ करने अथवा संस्था खोलने हेतु प्रार्थना पत्र सम्बन्धित शैक्षणिक वर्ष के पूर्व के दिसम्बर माह अथवा भारत सरकार की संवैधानिक संस्था द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से ठीक तीन माह पूर्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा किये जायेंगे जिसकी एक प्रति उप सचिव/अनु सचिव(उच्च शिक्षा)शिक्षा अनुभाग–6,उत्तरांचल सचिवालय,सुभाष रोड,देहरादून,248001 को भी पृष्ठांकित की जाय।

(2) इस प्रक्रियानुसार न प्रस्तुत तथा इस प्रकार निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) प्रार्थना पत्र के साथ अपेक्षित प्रारम्भिक विवरण जैसे परियोजना रिपोर्ट ,आय के स्रोत का विवरण,संस्था के पंजीकरण सम्बन्धी आवश्यक सूचनायें,पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का पर्याप्त औचित्य,पढाई पूर्ण करने पर व्यावसायिक कार्य में लगने हेतु अवसरों का उल्लेख,भूमि–भवन व्यवस्था अपेक्षित प्रमाण सहित आदि सूचनाएं भी संलग्न की जायेंगी। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ इन समस्त वांछित सूचनाओं/विवरणों के उपलब्ध कराये जाने पर ही प्रकरण विशेष पर विचार किया जायेगा।

(4) अधूरे प्रार्थना पत्रों को प्राप्ति के स्तर पर ही निरस्त किया जायेगा।

(5) प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ एक निर्धारित प्रक्रिया शुल्क(Processing Fees) भी जमा करना होगा। यह शुल्क विश्वविद्यालयों द्वारा शासन की सहमति के उपरान्त निर्धारित किया जायेगा।

(6) प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के पश्चात एतत्सम्बन्धी प्रयोजन हेतु गठित समिति अथवा विभाग अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रकरण के प्रत्येक पहलू को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक् जॉच करते हुए एक माह के भीतर अपनी संस्तुति शासन के उच्च शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर विचार करके शासन स्तर पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(7) इस तरह की प्रस्तावित सभी संस्थाओं आदि द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकाय यथा नगर पालिका परिषद्,नगर निगम,विकास प्राधिकरण,विनियमित क्षेत्र तथा छावनी परिषद् आदि के द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में निर्धारित समस्त शर्तों एवं मानकों को पूरा करने के सम्बन्ध में सूचना/विवरण प्रस्तुत की जायेगी।

2– उक्त समस्त बिन्दुओं पर यथा आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही विश्वविद्यालयों द्वारा की जायेगी जिसमें यह ध्यान में रखा जायेगा कि इस तरह के प्रकरणों में संस्तुति करते समय आवश्यकता एवं वर्तमान उपलब्ध स्थिति को भी ध्यान में रखा जायेगा।

एम0रामचन्द्रन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 338 (1)/XXIV(7)/2005 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः–

(1) कुलपति,हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय,श्रीनगर गढवाल।
(2) कुलपति,कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।
(3) निदेशक,उच्च शिक्षा,हल्द्वानी–नैनीताल।
(4) निदेशक,एन0आई0सी0उत्तरांचल।
(5) निदेशक, सूचना,उत्तरांचल को व्यापक प्रसार हेतु ।
(6) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(एस0के0माहेश्वरी)
अपर् सचिव।